



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्रतिधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

368

सं० 318] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 1992/भाद्र 17 1914
No. 318] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 1992/BHADRA 17, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(विदेश कर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1992

(आयकर)

सा. का नि 758(अ)—यत आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और बांग्लादेश लोक गणराज्य की सरकार के बीच सम्पन्न सन्तान अभिसमय, 27 मई, 1992 को उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 31 के पैराग्राफ 1 द्वारा यथा-अधिकृत अनुमर्त्यन के दस्ता-वेजों के आदान-पदान के पश्चात् लागू हो गया है ;

अतः अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि उक्त

अभिसमय के सभी उपबन्धों को भारत संघ में प्रभावी बनाया जाए।

अनुलग्नक

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व के अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा बांग्लादेश लोक गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय

भारत गणराज्य की सरकार

तथा

बांग्लादेश लोक गणराज्य की

सरकार

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व के अपवंचन को रोकने के लिए एक अभिसमय सम्पन्न करने की इच्छा से नीचे निम्न अनुसार महमत हुई है :

अध्याय-I

अभिसमय का विषय-क्षेत्र

अनुच्छेद-1

वैयक्तिक विषय-क्षेत्र

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी हैं ।

अनुच्छेद 2

अभिसमय के अन्तर्गत आने वाले कर

(1) यह अभिसमय जिन वर्तमान करों पर लागू होगा वे निम्नलिखित हैं:—

(क) भारत के मामले में :

(i) आयकर, जिसमें उस पर लगाया गया कोई भी अधिभार शामिल है ;

(ii) अधिभार,
(जिसे इसके बाद "भारतीय कर" कहा गया है) ;

(ख) बांग्लादेश के मामले में आयकर

(जिसे इसके बाद "बांग्लादेश कर" कहा गया है) ।

(2) यह अभिसमय किन्हीं समरूप अथवा पर्याप्त रूप से एक समान उन करों पर भी लागू होगा, जो दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा, पैरा 1 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त, अथवा उनके स्थान पर, वर्तमान अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् लगाए जाएंगे । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे ।

अध्याय -II

परिभाषाएं

अनुच्छेद 3

सामान्य परिभाषाएं

(1) इस अभिसमय में, जब तक विषयगत पाठ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो :

(क) "बांग्लादेश" शब्द से बांग्लादेश लोक गणराज्य अभिप्रेत है ;

(ख) "भारत" शब्द से भारत गणराज्य अभिप्रेत है ;

(ग) "एक संविदाकारी राज्य" और "दूसरे संविदाकारी राज्य" शब्दों से अभिप्राय, विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार बांग्लादेश अथवा भारत अभिप्रेत है ;

(घ) "कर" शब्द से विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार बांग्लादेश कर अथवा भारतीय कर अभिप्रेत है ;

(ङ) "व्यक्ति" शब्द में कोई व्यक्ति कोई कम्पनी और कोई अन्य सत्ता शामिल है, जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों के प्रवर्तमान कराधान कानूनों के अधीन एक कर-योग्य एकक के रूप में समझा जाता है ;

(च) "कम्पनी" शब्द से कोई भी ऐसी कम्पनी, निगमित निकाय अथवा कोई अन्य सत्ता अभिप्रेत है, जो संबंधित संविदाकारी राज्यों के कराधान कानूनों के अंतर्गत एक कम्पनी के रूप में मानी जाती है ;

(छ) "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी" शब्दों से विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो बांग्लादेश का निवासी है अथवा कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो भारत का निवासी है ;

(ज) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" और "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" शब्दों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा संचालित किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है ;

(झ) "राष्ट्रिक" शब्द से संबंधित संविदाकारी राज्यों की राष्ट्रिकता प्राप्त सभी व्यक्ति तथा सभी विधिक व्यक्ति, भागीदारी और संस्थाएं अभिप्रेत हैं, जो संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कानूनों में इस प्रकार की अपनी हैसियत रखते हैं ;

(ञ) "सक्षम प्राधिकारी" शब्दों से बांग्लादेश के मामले में अभिप्रेत है—राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि और भारत के मामले में अभिप्रेत है—केन्द्र सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;

(ट) "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" शब्दों का अभिप्राय किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा किसी परिवहन से है, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित किया जाता हो, निवाए इसके कि जब उक्त जलयान अथवा वायुयान दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो ;

2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अभिसमय को लागू किए जाने के संबंध है, किन्हीं शब्द का, जो इसमें अन्यथा परिभाषित नहीं हुआ हो, अर्थ विषयगत पाठ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित नहीं होने पर वही अर्थ होगा जो उस संविदाकारी राज्य के उन करों में संबंधित कानूनों के प्रयोजनार्थ हों, जिन पर यह अभिसमय लागू होता है ।

अनुच्छेद 4

निवासी

(1) इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए "किसी संविदाकारी राज्य का निवासी" शब्दों में अभिप्रेत है—ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर उस राज्य के कानूनों के अधीन उमके अधिवास, निवास, प्रबंध स्थान अथवा इससे मिलती-जुलती किसी अन्य कसौटी के कारण कर लगाया जाना अपेक्षित हो।

(2) जहाँ पैरा (1) के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो उसके मामले का निर्धारण निम्नलिखित नियमों के अनुसार किया जाएगा :

- (क) वह उस संविदाकारी राज्य का एक निवासी माना जाएगा, जिसमें उसके पास कोई स्थाई गृह उपलब्ध हो। यदि उसके पास दोनों संविदाकारी राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध है, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर है (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) ;
- (ख) जिस संविदाकारी राज्य में उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र है, यदि उसका निश्चय नहीं किया जा सकता हो, अथवा यदि उसके पास दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसका कोई व्यावहारिक आवास हो ;
- (ग) यदि उसका कोई व्यावहारिक आवास दोनों संविदाकारी राज्यों में है अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं है, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसका वह राष्ट्रिक है ;
- (घ) यदि वह दोनों संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर सहमति से इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

3. जहाँ पैराग्राफ (1) के उपबंधों के कारण से, किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसकी प्रभावी प्रबंध-व्यवस्था का स्थान स्थित है।

अनुच्छेद 5

स्थायी संस्थापन

(1) इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए "स्थायी संस्थापन" शब्दों से कारोबार का वह एक निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जहाँ उक्त उद्यम का कारोबार पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है।

(2) "स्थायी संस्थापन" शब्दों में विशेषतः निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (क) प्रबंध का कोई स्थान ;
- (ख) कोई शाखा ;
- (ग) कोई कार्यालय ;
- (घ) कोई कारखाना ;
- (ङ) कोई कर्मशाला ;
- (च) कोई भांडागार ;
- (छ) कोई खान, कोई खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ;
- (ज) कोई भवन-स्थल अथवा कोई निर्माण अथवा कोई एमेम्बली परियोजना अथवा इससे मिलता-जुलता कोई संस्थापन, जो 183 दिन से अधिक अवधि के लिए विद्यमान हो।

(3) "स्थायी संस्थापन" शब्दों में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा :

- (क) उद्यम के माल अथवा वाणिज्य वस्तुओं के केवल भंडारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ मुविधाओं का उपयोग ;
- (ख) उद्यम के माल अथवा वाणिज्य वस्तुओं के किसी स्टोक के मात्र भंडारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ रख-रखाव ;
- (ग) उद्यम के माल अथवा वाणिज्य-वस्तुओं के किसी स्टोक का किसी अन्य उद्यम द्वारा संसाधित किए जाने मात्र के प्रयोजनार्थ रख-रखाव ;
- (घ) उद्यम के लिए मान अथवा वाणिज्य-वस्तुओं का क्रय करने अथवा उनके बारे में सूचना संगृहीत करने के अनन्य प्रयोजनार्थ कारोबार के किसी नियत स्थान का रख-रखाव ;
- (ङ) उद्यम के लिए विज्ञापन देने, सूचना देने, वैज्ञानिक अनुसंधानों अथवा इससे मिलते-जुलते कार्यकलापों के अनन्य प्रयोजनार्थ, जो उस उद्यम के लिए प्रारम्भिक अथवा सहायक किस्म के हों, कारोबार के किसी नियत स्थान का रख-रखाव।

(4) पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों के बावजूद जहाँ कोई व्यक्ति—जो किसी स्वतंत्र हिसियत के किसी अधिकारी से भिन्न हो, जिस पर पैराग्राफ 5 की व्यवस्थाएं लागू होती हैं—एक संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा हो, तो ऐसे मामले में उस उद्यम का प्रथमोक्त राज्य में एक स्थायी संस्थापन स्थित होना माना जाएगा, यदि—

- (क) वह उद्यम के लिए अथवा उसकी ओर से प्रथमोक्त राज्य में संविदाएं निष्पन्न करने का एक धाम प्राधिकार रखता हो तथा व्यावहारिक रूप से ऐसे

प्राधिकार का उपयोग करता हो, यदि उसके कार्य-कलाप उस उद्यम के लिए माल अथवा पण्यों के क्रय तक ही सीमित नहीं हों; अथवा

- (ख) वह प्रथमोक्त राज्य में व्यावहारिक रूप से उद्यम के माल अथवा पण्यों का एक ऐसा स्टॉक रखता हो, जिससे वह व्यक्ति उद्यम के लिए अथवा उद्यम की ओर से नियमित रूप से माल अथवा पण्यों की डिलीवरी करता रहता है; अथवा
- (ग) वह प्रथमोक्त राज्य में पूर्ण रूप से अथवा लगभग पूर्ण रूप से स्वयं उद्यम के लिए अथवा ऐसे उद्यम अथवा अन्य उद्यमों के लिए व्यावहारिक रूप से आर्डर प्राप्त करता रहता है, जो उसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, अथवा जो उस पर नियंत्रण संबंधी हित रखते हैं।

5. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण से कोई स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हँसियन वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, जहाँ पर ऐसे व्यक्ति अपने सामान्य कारोबार के अंतर्गत कार्य कर रहे हों और उनके कार्यकलाप ऊपर पैराग्राफ (4) (ग) के कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हों।

6. इस तथ्य से ही कि कोई कंपनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कंपनी का नियंत्रण करती है अथवा उसके द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, अथवा जो उस दूसरे राज्य (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) में कारोबार चलाती है, तो उन दोनों कंपनियों में से कोई भी कंपनी स्वतः दूसरी कंपनी का एक स्थायी संस्थापन नहीं बन जाएगी।

7. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में उस स्थिति में कोई स्थायी संस्थापन समझा जाएगा, यदि वह दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कारोबार करता हो, जिसमें लोक मनोरंजनकर्त्ताओं (जैसे रंगमंच, चल-चित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन के कलाकार और संगीतकार) अथवा खिलाड़ियों की सेवाएं प्रदान करना शामिल हो बशर्ते ऐसी सेवाएं दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा सम्मत सांस्कृतिक अथवा खेल-कूद के आदान-प्रदान के कार्यक्रमों के अंतर्गत नहीं आती हों।

अध्याय—III

आय का कराधान

अनुच्छेद 6

अचल सम्पत्ति से आय

(1) अचल सम्पत्ति से आय पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा, जिसमें ऐसी सम्पत्ति स्थित है।

(2) "अचल सम्पत्ति" शब्द की परिभाषा उस संविदाकारी राज्य के कानूनों तथा प्रथा (जो विधि का बल रखती हो) के अनुसार की जाएगी, जिस राज्य में विषयगत सम्पत्ति स्थित है। इन शब्दों में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे—अचल सम्पत्ति के उप-माधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि में प्रयुक्त पशुधन तथा उपस्कर, वन-सम्पत्ति तथा मत्स्य-पालन, ऐसे अधिकार जिन पर संविदाकारी राज्य के भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानूनों के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार, खनिज भंडार, स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन अथवा संचालन-अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नकद अथवा वस्तु-रूप में नियत अदायगियों के अधिकार, जलयानों तथा वायुयानों को अचल सम्पत्ति नहीं माना जाएगा।

(3) पैराग्राफ (1) के उपबंध अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग से, किराए पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के उपयोग होने वाली आय पर लागू होंगे।

(4) पैराग्राफ (1) और (3) के उपबंध किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय के साथ-साथ स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए इस्तेमाल में लाई गई अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद 7

कारोबार से लाभ

(1) किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के किन्हीं लाभों पर केवल उस राज्य में ही कर लगेगा, जब तक वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार नहीं चलाता हो। यदि उक्त उद्यम पूर्वोक्त प्रकार से कारोबार करता हो तो उक्त उद्यम के उतने लाभों पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा, जिनके स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए हों।

(2) जहाँ किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, ऐसे मामले में प्रत्येक संविदाकारी राज्य में उस स्थायी संस्थापन के कारण उसको उन लाभों का उत्पन्न होना माना जाएगा, जिनके प्राप्त होने की तब अपेक्षा रहती, जब वह समरूप अथवा उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों के अंतर्गत समरूप अथवा एक-समान कार्यकलापों में लगा हुआ एक निर्दिष्ट तथा अलग होता और जिस उद्यम का वह एक स्थायी संस्थापन है, उसके साथ पूर्णतया स्वतंत्र रूप से व्यापार करना होना। किसी भी हालत में, जहाँ किसी स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न सही-सही लाभों का निर्धारण किया जाना असंभव हो अथवा उसके निर्धारण में असाधारण कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हो, तो ऐसे मामले में उस स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न लाभों का आकलन एक उचित आधार पर किया जाना चाहिए।

(3) किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण के मामले में व्यय की उन रकमों की कटौतियों की स्वीकृति दी जाएगी, जो स्थायी संस्थापन के प्रयोजनों के लिए व्यय की गयी हों और उनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल रहेंगे, चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जहां उक्त स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र, लेकिन इसमें वे व्यय शामिल नहीं होंगे जिन्हें जिस राज्य में उद्यम स्थित है, उस राज्य के कानूनों के अनुसार कटौती किये जाने की अनुमति नहीं दी गयी हो।

(4) जहां किसी संविदाकारी राज्य में, उद्यम के कुल लाभों को उसके विभिन्न अंगों के प्रति अनुभाजन के आधार पर, किसी स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न लाभों को तय करने की कोई प्रथा हो, वहां पैराग्राफ (2) की कोई भी व्याख्या उस संविदाकारी राज्य को ऐसी परम्परागत अनुभाजन पद्धति में, कराधेय लाभों को तय करने में नहीं रोकेगी तथापि अनुभाजन पद्धति ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धांतों के अनुसार होगा।

(5) कोई भी लाभ केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को हुए नहीं माने जाएंगे कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल अथवा वाणिज्य वस्तुएं खरीदी गयी हैं।

(6) पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनों के लिए, स्थायी संस्थापन के कारण हुए माने जाने वाले लाभों को तब तक उसी पद्धति में वर्षानुवर्ष निर्धारित किया जाएगा, जब तक कि उसके विशुद्ध कोई उपयुक्त तथा पर्याप्त कारण नहीं हों।

(7) जहां लाभों में आय की वे मदें भी शामिल हों, जिनका विवेचन इस अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में अलग से किया गया है, ऐसे मामलों में उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद 8

वायु-परिवहन

(1) किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में विमान-संचालन में प्राप्त लाभों पर कर उस संविदाकारी राज्य में ही लगेगा।

(2) इसी प्रकार वायु परिवहन में कार्यरत उद्यमों द्वारा किसी भी पूल में भागीदारी में प्राप्त आय पर पैरा (1) के प्रावधान भी लागू होंगे।

अनुच्छेद 9

जहाजरानी

(1) एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में

जलयान-संचालन से हुई आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा, लेकिन उक्त दूसरे राज्य में ऐसी आय पर लगाये जाने वाले कर की राशि को घटाकर, ऐसे कर की 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य कर दिया जायेगा।

(2) पैराग्राफ (1) के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन एजेंसी में भागीदारी में होने वाले लाभों पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद 10

सम्बद्ध उद्यम

जहां—

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की प्रबंध व्यवस्था, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा

(ख) वही व्यक्ति, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की प्रबंध-व्यवस्था, नियंत्रण अथवा पूंजी में भाग लेते हैं;

और दोनों में से किसी भी व्यवस्था में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी जाती हैं अथवा लगायी जाती हैं, जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जैसी स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, तो ऐसे मामले में ऐसे किन्हीं भी लाभों को, जो उन शर्तों के नहीं होने की हालत में, उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुए होते, किन्तु उन शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुए, उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किया जाएगा और वे तदनुसार कराधेय होंगे।

अनुच्छेद 11

लाभांश

(1) एक संविदाकारी राज्य की निवासी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी का अदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे।

(2) तथापि, इस प्रकार के लाभांश उस संविदाकारी राज्य में तथा उक्त संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार भी कराधेय होंगे, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों का लाभभोगी स्वामी है, तो इस प्रकार प्रभारित कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होना चाहिए :—

(क) लाभांशों की सकल राशि का 10 प्रतिशत, यदि लाभभोगी स्वामी एक कम्पनी है जो लाभांश अदा करने वाली कम्पनी की पूंजी में प्रत्यक्षतया कम-से-कम 10 प्रतिशत शेयर रखती है;

(ख) अन्य सभी मामलों में लाभांशों की सकल राशि का 15 प्रतिशत।

इस पैराग्राफ से कम्पनी के उन लाभों, जिनसे लाभांशों की अदायगी की जाती है, पर कराधान के संबंध में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "लाभांशों" शब्द का अभिप्राय, ऐसे शेयरों, खनन शेयरों, संस्थापक के शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से जो ऋण-दावे नहीं हैं, लाभों में सहभागी हैं, प्राप्त आय के साथ-साथ अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय से है, जिस पर शेयरों से प्राप्त आय पर उस संविदाकारी राज्य के कानूनों द्वारा लगाए जाने वाले कर के अनुसार ही कर लगाया जाता है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है।

(4) पैराग्राफ (1) और (2) के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि लाभांशों का हितभोगी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उक्त दूसरे राज्य में स्थित किसी नियत स्थान में स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता है, और जिन सम्पत्ति के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में यथास्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15, के उपबन्ध लागू होंगे।

(5) जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहां उस कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर, जहां तक कि ऐसे लाभांशों को छोड़कर, जो दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए हो अथवा जहां तक कि ऐसी सम्पत्ति के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है, जो उस राज्य में स्थित इस प्रकार के किसी स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है, उस दूसरे राज्य में न तो कोई कर लगाया जाएगा और न ही कम्पनी के अद्वि-रित लाभों पर अद्वि-रित लाभकर की किस्म का कोई कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अद्वि-रित लाभ पूर्णतः अथवा अंशतः उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हों।

अनुच्छेद 12

ब्याज

(1) एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

(2) तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर कर उस संविदाकारी राज्य में और उस राज्य के कानूनों के अनुसार भी लगेगा, जिस राज्य में यह उद्भूत होता है, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभोगी स्वामी हो, तो इस प्रकार प्रभारित कर की राशि ब्याज की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(3) पैराग्राफ (2) के उपबन्धों के बावजूद :

(क) भारत में उद्भूत होने वाले ब्याज पर, जो बांग्लादेश की सरकार अथवा बांग्लादेश बैंक को अदा किया गया हो, भारतीय कर से छूट होगी ;

(ख) बांग्लादेश में उद्भूत होने वाले ब्याज पर, जो भारत सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक को अदा किया गया हो, बांग्लादेश कर से छूट होगी।

दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से ऐसी कोई अन्य संस्था निर्धारित कर सकते हैं, जिनपर यह पैराग्राफ लागू होगा।

(4) इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "ब्याज" शब्द का अभिप्राय ऐसे सभी प्रकार के ऋण-दावों से, चाहे वे बन्धक के रूप में आरक्षित रखे गये हों अथवा नहीं और चाहे उसके बारे में कर्जदार के लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं, प्राप्त आय से, और विशेषतः सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त होने वाली आय और बन्ध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों से, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बन्ध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों के साथ जुड़े हुए लाभ तथा पुरस्कार से प्राप्त आय भी शामिल है, प्राप्त आय से है, देर से की गयी अदायगी के लिए लगाए गए अर्थ-बन्ड को इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ ब्याज के रूप में नहीं माना जाएगा।

(5) पैराग्राफ (1) और (2) के उपबन्ध इस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितभोगी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिनमें ब्याज उत्पन्न हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता हो अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी नियत स्थान से स्वतंत्र रूप से व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता हो और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान से प्रभावी रूप से सम्बन्धित हो। इस प्रकार के मामले में, यथास्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबन्ध, लागू होंगे।

(6) किसी संविदाकारी राज्य में उस स्थिति में ब्याज उद्भूत हुआ माना जाएगा, यदि ब्याज अदा करने वाले वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य, उक्त राज्य का कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई निवासी हो किन्तु, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति या, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हों, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी

संस्थापन है अथवा ऐसा कोई नियत स्थान है, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था और जिस पर ब्याज की अदायगी की गयी थी, और इस प्रकार का ब्याज उस स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान द्वारा वहन किया जाता है तब वह ब्याज उम संविदाकारी राज्य में उद्भूत माना जाएगा, जिसमें उम स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान स्थित है।

(7) जहां ब्याज अदा करने वाले तथा लाभभोगी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों में तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का कोई संबंध होने के कारण, ब्याज की रकम, उम ऋण-दावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए उमकी अदायगी की जाती है, ब्याज की उस रकम से बढ़ जाती है जो ब्याज अदा करने वाले और लाभभोगी स्वामी के द्वारा ऐसे संबंध के न होने पर तय की गई होती तो ऐसे मामले में इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम-वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में अदायगियों के अतिरिक्त भाग पर, इस अभिसमय के अन्य उपबंधों का उचित ध्यान रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगेगा।

अनुच्छेद 13

रायल्टियां

(1) एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों पर उम दूसरे राज्य में कर लगेगा।

(2) तथापि, ऐसी रायल्टियों पर उस संविदाकारी राज्य में, जिसमें वे उद्भूत होती हैं और उम संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार भी कर लगेगा, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता रायल्टियों का हितभोगी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर, रायल्टियों की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(3) इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "रायल्टियां" शब्द में, साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियों, जिनमें रेडियो अथवा दूरदर्शन से प्रसारण के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले चलचित्र-फिल्म अथवा फिल्म अथवा टेपें शामिल हैं, कोई पेटेंट ट्रेड मार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग करने के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के एक प्रतिफल के रूप में अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचना के लिए प्राप्त किये गए प्रकार का अदायगियां अभिप्रेत है, परन्तु इसमें खनिज भण्डारों, खेतों के खनन तथा अन्य नैसर्गिक संसाधनों के संबंध में प्राप्त किसी प्रकार की अदायगियां शामिल नहीं हैं।

(1) पैराग्राफ (1) तथा (2) के उपबंध उम स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों का हितभोगी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी

राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है जिसने रायल्टियां उद्भूत होती हैं या वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से उम दूसरे राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है और जिस अधिकार या सम्पत्ति के संबंध में रायल्टियां अदा की जाती हैं, वह ऐसे स्थायी संस्थापन या निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

(5) रायल्टियां एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएंगी जब अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, उम संविदाकारी राज्य का कोई राजनीतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उम राज्य का कोई निवासी हो। परन्तु, जहां रायल्टियां अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हो, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में रायल्टियों की अदायगी का दायित्व उपगत था और ऐसी रायल्टियां ऐसे स्थायी संस्थापन या निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हैं तब ऐसी रायल्टियां उम संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएंगी जिसमें स्थायी संस्थापन या निश्चित स्थान स्थित है।

(6) जहां अदाकर्ता और हितभोगी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, रायल्टियों की रकम, प्रयोग, अधिकार अथवा सूचना को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए वह अदा की जाती है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता तथा हितभोगी स्वामी के बीच सहमति हुई होती, तो ऐसे मामले में अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम-वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में अदायगियों के अतिरिक्त भाग पर, इस अभिसमय के अन्य उपबंधों का उचित ध्यान रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगेगा।

अनुच्छेद 14

पूंजीगत अभिलाभ

(1) पैराग्राफ (3) के उपबंधों के अर्धधीन रहते हुए, संविदाकारी राज्यों के संबंधित कर-कानूनों के अंतर्गत यथा परिभाषित किसी पूंजीगत परिसम्पत्ति की बिक्री, विनिमय अथवा अन्तर्ण में उद्भूत होने वाले पूंजीगत अभिलाभों पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में लगेगा जिसमें ऐसा बिक्री, विनिमय अथवा अन्तर्ण के समय पूंजीगत परिसम्पत्ति स्थित हो।

(2) इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, किसी कंपनी के शेयरों का स्थिति उम संविदाकारी राज्य में समझी जाएगी जिसमें कि उक्त कंपनी निर्मित है।

(3) किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में परिचालित किसी जलयान अथवा वायुयान के रूप में किसी पूंजीगत परिसम्पत्ति की बिक्री, विनिमय अथवा अन्तर्ण से प्राप्त होने वाला पूंजीगत अभिलाभ केवल उम संविदाकारी राज्य में कराधेय होगा।

अनुच्छेद 15

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

(1) एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा किसी स्वतंत्र स्वरूप के अन्य कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय केवल उस संविदाकारी राज्य में कराधेय होगी। परन्तु ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगेगा, यदि :

(क) उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में कोई निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध हो, तो उस मामले में, उस दूसरे राज्य में आय की उतनी रकम पर कर लगेगा जो कि उस निश्चित स्थान से उद्भूत हुई माना जा सकता है; अथवा

(ख) वह दूसरे संविदाकारी राज्य में, विगत वर्ष में अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य के संबंधित आय-वर्ष से कुल 120 दिन की अवधि अथवा अवधियों के लिए मौजूदा रहा हो।

(2) "व्यावसायिक सेवाएं" पद में विशेष प्ररूप में स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, शल्य-चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दन्त-चिकित्सकों तथा लेखापालों के स्वतंत्र कार्यकलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद 16

पराश्रित वैयक्तिक सेवाएं

(1) अनुच्छेद 17, 19 तथा 20 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के दूसरे पारिश्रमिक पर तब तक केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जब तक कि उक्त नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया जाता है। यदि इस प्रकार नियोजन किया जाता है तो ऐसे पारिश्रमिक पर, जो उससे प्राप्त होता है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

(2) पैराग्राफ (1) के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोलिखित राज्य में ही कर लगेगा, यदि

(क) वह उस दूसरे संविदाकारी राज्य में "विगत वर्ष" अथवा संबंधित "आय वर्ष" के दौरान कुल 183 दिनों से अधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए मौजूद रहा हो अथवा वह उस दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी ऐसी अवधि के लिए मौजूद रहा हो जो कि, उस सम्पूर्ण अवधि के दौरान

जिसमें वह उस दूसरे संविदाकारी राज्य में मौजूद रहा है, 183 दिनों से अधिक की लगातार अवधि का एक भाग है; तथा

(ख) पारिश्रमिक की अदायगी किसी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से की जाती है जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी नहीं है; तथा

(ग) किसी स्थायी संस्थापन के अधिभागों में से, जिन पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर उद्ग्रहणीय होता है, पारिश्रमिक की कटौती नहीं की जाती है।

(3) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) तथा (2) के उपबंधों के रहते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में परिचालित किसी जलयान अथवा वायुयान में निष्पादित वैयक्तिक सेवाओं के लिए प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

अनुच्छेद 17

निदेशक की फीस

एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसी कम्पनी के, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की एक निवासी है, निदेशक-मण्डल के एक सदस्य की हैमियत से प्राप्त निदेशक की फीस तथा उसमें मिलनी-जुलती किस्म की अदायगियों पर कर केवल उस दूसरे संविदाकारी राज्य में लगेगा।

अनुच्छेद 18

मनोरंजनकर्ता तथा खिलाड़ी

(1) अनुच्छेद 15 तथा 16 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता, जैसे कि किसी थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या संगीतकार अथवा एक खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किये गये इस प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

(2) जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी उस प्रकार की हैमियत से किये गये वैयक्तिक कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं होती हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती हो, ऐसे मामले में उस आय पर, अनुच्छेद 7, 15 तथा 16 के उपबंधों के होते हुए भी उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जिसमें उक्त मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किये जाते हैं।

(3) सतारवाक्य (1) अथवा विनियमों द्वारा एक संविदाकारी राज्य में निष्पादित कार्यकलापों में प्राप्त पारिश्रमिक अथवा लाभों, वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार का आय पर पैराग्राफ (1) तथा (2) के उपरोक्त प्रावधानों होंगे यदि उनके द्वारा उस राज्य के लिए एक दोरे के खर्चों को दूसरे संविदाकारी राज्य की लोक निधियों, जिनमें उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा सांविधिक निकाय की लोक निधिया भी शामिल है, से पर्याप्त रूप से पूरा किया जाता है और तभी ये उपबंध ऐसे कार्य-कलापों के संबंध में लाभ नहीं कमाने वाले किसी संगठन द्वारा प्राप्त आय पर लागू होंगे अर्थात् इसकी आय का कोई भाग इसके मालिकों, सदस्यों अथवा जेयर-धारकों को न तो सदेव ही अथवा व्यक्तिगत लाभ के लिए अन्यथा उपलब्ध हो।

अनुच्छेद 19

सरकारी पेंशन

(1) एक संविदाकारी राज्य के भीतर खोले गए किसी ऐसे व्यक्ति जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, द्वारा प्राप्त कोई पेंशन, जो उस पेंशन में भिन्न है, जिस पर अनुच्छेद 20 का पैराग्राफ (1) लागू होता है, तथा व्यक्ति पर कर केवल प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य में लगेगा।

(2) अनुच्छेद 20 में तथा इस अनुच्छेद में तथाप्रयुक्त "पेंशन" शब्द से, की गई सेवाओं के लिए प्रतिकूल के रूप में की गई आर्थिक अदायगी अथवा सेवाओं के दौरान लगी चोटों के लिए मुआवजे के तौर पर की गई आर्थिक अदायगी अभिप्रेत है।

(3) पैराग्राफ (1) में तथाप्रयुक्त "व्यक्ति" शब्द से, जीवनकाल में अथवा किसी निर्दिष्ट या निश्चय मर्यादाधि के दौरान धनराशि अथवा उसके बंधन मध्य में पर्याप्त तथा पूर्ण प्रतिकूल की अदायगी करने के उद्देश्य के अंतर्गत आर्थिक रूप में निश्चित समय पर अदायगी-प्रत्येक एक निश्चित राशि अभिप्रेत है।

अनुच्छेद 20

सरकारी पारिश्रमिक तथा पेंशन

(1) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अथवा उसकी निधियों में किसी व्यक्ति को, जो उस संविदाकारी राज्य का नागरिक है, उस संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण में किसी सरकारी स्तर के कार्यों के निष्पादन में की गई सेवाओं के संबंध में, प्रदान पारिश्रमिक पर, जिसमें पेंशन भी शामिल है, केवल उस राज्य में कर लगेगा।

(2) दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य की सरकार अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लाभ के प्रयोजन-के लिए किये गये किसी व्यापार के सिलसिले में की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक तथा पेंशन पर पैराग्राफ (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

(3) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के उपरोक्त भारतीय रिजर्व बैंक तथा बांग्लादेश बैंक द्वारा प्रदान पारिश्रमिक पर भी, जिसमें पेंशन भी शामिल है, लागू होंगे।

अनुच्छेद 21

विद्यार्थी, प्रशिक्षणार्थी तथा प्रशिक्षु

(1) कोई व्यक्ति, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है तथा दूसरे संविदाकारी राज्य में अस्थायी तौर से मात्र—

(क) दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय, विद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक संस्था में एक विद्यार्थी के रूप में; अथवा

(ख) प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य के किसी उच्च के किसी स्थायी संस्थापन में अथवा किसी संगठन में एक व्यवसायी अथवा तकनीकी प्रशिक्षु के रूप में; अथवा

(ग) किसी धार्मिक, धर्मार्थ, वैज्ञानिक अथवा शैक्षणिक संगठन में अध्ययन अथवा अनुसंधान के मूल प्रयोजन के लिए किसी अनुष्ठान, भक्ता अथवा पुस्तकार के प्राप्ति के रूप में

मौजूद रहा हो, उसे उस दूसरे संविदाकारी राज्य में निम्नलिखित के संबंध में कर से छूट प्राप्त होगी—

(1) छूट की अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के लिए, उसके भरण-पोषण, शिक्षा, अध्ययन, अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए विदेशों में प्राप्त रकमों पर;

(2) अनुदान भत्ता अथवा पुस्तकार; तथा

(3) उस दूसरे संविदाकारी राज्य में "विवृत वर्ष" अथवा "आय वर्ष" जैसी भी स्थिति हो, के दौरान किसी नियोजन के लिए पारिश्रमिक के रूप में प्रतिवर्ष 15,000/- रुपये से अधिक की कोई राशि अथवा बांग्लादेश की मुद्रा में उसके समतुल्य रकम पर, यदि ऐसा नियोजन उसके अध्ययन अथवा उसके प्रशिक्षण से संबंधित है अथवा यदि उसके भरण-पोषण के लिए यह आवश्यक है।

(2) कोई व्यक्ति, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और दूसरे संविदाकारी राज्य में, प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य के किसी उच्च अथवा पैराग्राफ (1) के उप-पैराग्राफ (ग) में उल्लिखित किसी संगठन के एक कर्मचारी के रूप

में अथवा करार के अधीन, एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए ऐसे उद्यम अथवा संगठन में भिन्न किसी व्यक्ति में मात्र तकनीकी, व्यावसायिक अथवा व्यापार संबंधी अनुभव अर्जित करने के लिए अस्थायी तौर से मौजूद रहना है तो उसे, ऐसी अवधि के लिए अपनी सेवाओं के लिए, जो इस प्रकार के अनुभव को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्षतः संबद्ध है, प्राप्त पारिश्रमिक पर उसे दूसरे संविदाकारी राज्य में उसकी रकम तक कर से छूट प्राप्त होगी ताकि ऐसे पारिश्रमिक की रकम "विगतवर्ष" अथवा "आय वर्ष" जैसी भी स्थिति हो, के दौरान प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की रकम अथवा बांग्लादेश की मुद्रा में इसके समतुल्य रकम से अधिक नहीं हो।

(3) कोई व्यक्ति, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और दूसरे संविदाकारी राज्य में, उस दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार अथवा उसकी किसी एजेंसी के साथ हुई प्रबंध-व्यवस्था के अंतर्गत मात्र प्रशिक्षण, अध्ययन अथवा नवा-भिमुखीकरण के प्रयोजनार्थ अस्थायी तौर से मौजूद रहा हो तो उसे उस दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे प्रशिक्षण, अध्ययन अथवा नवाभिमुखीकरण के कारण उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक के संबंध में कर से छूट प्राप्त होगी।

अनुच्छेद 22

प्राध्यापक, अध्यापक तथा शोधक

(1) किसी प्राध्यापक अथवा किसी अध्यापक को, जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा उस संविदाकारी राज्य की अन्य मान्यता प्राप्त संस्था में अध्यापन-कार्य के अथवा शोध-कार्य के प्रयोजनार्थ अथवा दोनों के लिए, एक संविदाकारी राज्य का दौरा करता है तथा ऐसे दौरे के तत्काल पहले वह दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है अथवा था, उसके उस संविदाकारी राज्य में आगमन की तारीख से दो वर्षों से अनधिक की अवधि के लिए ऐसे अध्यापन-कार्य अथवा शोध-कार्य के लिए प्राप्त किसी प्रकार के पारिश्रमिक पर प्रथमोत्तलिखित संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।

(2) यह अनुच्छेद उस शोध-कार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा शोध-कार्य मूलतः किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाता हो।

(3) इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 21 के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को एक संविदाकारी राज्य का निवासी उस स्थिति में सम्झा जाएगा यदि वह "विगत वर्ष" अथवा "आय वर्ष" जिस में वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है अथवा तत्काल पूर्ववर्ती "विगत वर्ष" अथवा "आय वर्ष" में, जैसी भी स्थिति हो, उस संविदाकारी राज्य का निवासी रहा हो।

(4) पैराग्राफ (1) के प्रयोजनार्थ "मान्यता प्राप्त संस्था" से ऐसी संस्था अभिप्रेत है जिसे इस भिल्लिने में संबंधित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अनुच्छेद 23

सरकार की तथा संस्थाओं की आय

(1) संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य को सरकार का, ऐसी सरकार द्वारा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में प्राप्त किसी प्रकार की आय के संबंध में दूसरे संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।

(2) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के प्रयोजनार्थ "सरकार" पद से—

(क) भारत के मामले में, भारत सरकार अभिप्रेत है और उसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:—

- (1) राज्य सरकार तथा भारतीय नवराज्य क्षेत्र;
- (2) भारतीय रिजर्व बैंक,
- (3) ऐसी कोई संस्था अथवा विकास विभाग जिसके लिए दो संविदाकारी राज्यों के बीच सम-समय पर सहमति हुई हो।

(ख) बांग्लादेश के मामले में, बांग्लादेश लोक गणराज्य को सरकार अभिप्रेत है और उसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:—

- (1) बांग्लादेश बैंक—
- (2) कोई ऐसी संस्था अथवा निकाय जिसके लिए दो संविदाकारी राज्यों के बीच सम-समय पर सहमति हुई हो।

अनुच्छेद 24

आय जिसके बारे में स्पष्टता उपलब्ध नहीं किया गया है

प्रत्येक संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों के अन्तर्गत संबंधित संविदाकारी राज्यों की आय पर कर लगाया जाता रहेगा, सिवाय उपरोक्त इस अधिनियम में इसके प्रतिकर स्पष्ट उपबंध बनाया गया हो।

अध्याय 4

दोहरे करधान के अपाकरण का तरीका

अनुच्छेद 25

दोहरे करधान का अपाकरण

(1) भारत के किसी निवासी के मामले में दोहरे करधान का अपाकरण निम्नप्रकार में किया जाएगा:

भारत में अथवा किसी अन्य देश में संदेय कर को भारतीय कर के प्रति लाभ के रूप में छूट देने संबंधी भारतीय कर कानूनों के उन्वयों के अधधीन (जो इसके सामान्य सिद्धान्त को प्रभावित नहीं करेंगे), बांग्लादेश के कानूनों के अन्तर्गत तथा इस प्रतिज्ञा के अन्तर्गत संदेय बांग्लादेश कर (जिसे बांग्लादेश के मामले में ऐसे लाभों के संबंध में संदेय कर शामिल नहीं होगा) जिसे दो

लाभाण्य अथवा किया जाता है), बांग्लादेश में उत्पन्न होने से प्राप्त प्रत्येक वर्ष के प्रथम चतुर्मास में प्राप्त आय पर 10 प्रतिशत का कर लागू किया गया है, ऐसी आय का संबंध से संबंधित भारतीय कर के प्रति क्रेडिट के रूप में अनुमत्त होगा। तथापि, क्रेडिट की यह रकम भारतीय कर का उपायानुपात से अधिक नहीं होगी जो कि बांग्लादेश में उत्पन्न होने से प्राप्त आय पर भारतीय कर का प्रथम चतुर्मास समस्त आय पर लगता है।

बशर्ते कि ऐम क्रेडिट की रकम उस भारतीय कर (इस प्रकार के क्रेडिट की अनुमति दिये जाने से पूर्व यथा-संगणित) से अधिक नहीं होगी जो बांग्लादेश में उत्पन्न होने से प्राप्त आय के लिए अनुचित है, तथापि यह कि जहाँ ऐसा निवासी कोई कंपनी है जिसके द्वारा भारत में अतिकर संदेय है, ऐसे मामले में उपर्युक्त क्रेडिट, कंपनी द्वारा भारत में संदेय अतिकर की शेष रकम पर, यदि कोई हो, प्रथम चतुर्मास अनुमत्त होगा।

(2) पैराग्राफ (1) के प्रयोजनार्थ "संदेय बांग्लादेश-कर" पद में बांग्लादेश-कर की वह रकम भी शामिल की गई मानी जाएगी जो, बांग्लादेश के अधिनीति उपबन्धा के अनुसार यदि बांग्लादेश कर की छूट नहीं दी गई हो प्रत्येक वर्ष का कम नहीं किया गया है, संदेय बनी होती

- (क) आयकर अध्यादेश, 1984 की धारा 29(1) का खण्ड (X), धारा 45 तथा धारा 46,
- (ख) आयकर अध्यादेश, 1984 की तृतीय अनुसूची का पैराग्राफ 7,
- (ग) आयकर अध्यादेश, 1984 की छठी अनुसूची के भाग बी के पैराग्राफ 10, 11, 12, 13, 15 तथा 22,
- (घ) दिनांक 29 नवम्बर 1976 की अधिसूचना संख्या एम आर ओ 417ए-एन. 76 के पैराग्राफ (सी) (ई), (एफ), (जी) तथा (एच), तथा उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ (ए), (बी) तथा (डी), जहाँ तक उनका संबंध बांग्लादेश में आर्थिक विकास का बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिए गए श्रेणियों को छूट अथवा राहत देने का है, जहाँ तक वे इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किये जाने की तारीख का प्रवृत्त थे तथा तब से उन्हें मशॉधित नहीं किया गया है अथवा उनमें केवल मामूली-सा मशॉधन किया गया है ताकि उनके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव न पड़े, अथवा

(ङ) किसी अन्य उपबन्ध के अंतर्गत जिन कर से छूट प्रदान करने अथवा उनमें कटौती करने के लिए बाद में बनाया जाए, जिसके लिए सविदाकारी राज्यों के मन्त्र प्राधिकारियों से सहमति होती है और जो काफ़ी हद तक उसी प्रकार के स्वरूप का है, यदि इस अंतर्गत मशॉधित नहीं किया

गया हो अथवा उसमें मामूली-सा मशॉधन किया गया हो ताकि इसमें उनके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो,

लेकिन, शर्त यह है कि इस पैराग्राफ में उल्लिखित कर की रकम निम्नलिखित से अधिक नहीं हो -

- (क) लाभाण्य के मामले में, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2(क) में उल्लिखित लाभाण्य के मामले में ऐसे लाभाण्य की सकल राशि के 10 प्रतिशत के बराबर की रकम, तथा अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2(ख) में उल्लिखित लाभाण्य के मामले में, लाभाण्य की सकल रकम का 15 प्रतिशत,
- (ख) ब्याज के मामले में, ऐसे ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत के बराबर की रकम, तथा
- (ग) रायन्टिया के मामले में, ऐसी रायन्टियों की सकल रकम के 10 प्रतिशत के बराबर की रकम।

(3) बांग्लादेश के किसी निवासी के मामले में दोहरे कराधान का अपाकरण निम्नानुसार किया जाएगा

बांग्लादेश में भिन्न किर्मा अन्व उद्योग में संदेय कर को बांग्लादेश कर के प्रति क्रेडिट के रूप में छूट देने संबंधी बांग्लादेश के कानूनों के उपबन्धा के अध्याधीन (जो इसके सामान्य सिद्धांत का प्रभावित नहीं करेगा) भारतीय कानूनों के अंतर्गत तथा इस अभिसमय के अनुसार संदेय भारतीय कर (जिसमें लाभाण्य के मामले में ऐम लाभा क संबन्ध में संदेय कर शामिल नहीं होगा जिसमें से लाभाण्य अदा किया जाता है)। भारत में उत्पन्न होने से प्राप्त आय के संबंध में बांग्लादेश के किसी निवासी द्वारा चाहे प्रत्यक्ष रूप से अथवा कटौती करके जित पर भारत तथा बांग्लादेश दोनों में कर लगाया गया है, ऐसी आय के संबंध में संदेय बांग्लादेश-कर के प्रति क्रेडिट के रूप में अनुमत्त होगा परन्तु वह रकम बांग्लादेश-कर के उभय अनुपात से अधिक नहीं हो जा कि बांग्लादेश-कर पर प्रभावी समस्त आय पर लगता है।

(4) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) के प्रयोजनार्थ "संदेय भारतीय कर" में ऐसी कोई रकम शामिल की गई समझी जाएगी जो किसी भी वर्ष के लिए भारतीय कर के रूप में संदेय हो गई होती परन्तु उस वर्ष अथवा उसके किसी भाग के लिए निम्नानुसार कर में दी गई छूट अथवा उसमें की गई कटौती के कारण ऐसा नहीं हुआ -

- (क) निम्नलिखित उपबन्धों में से कोई भी उपबन्ध, अर्थात् आयकर अधिनियम, 1961 का धारा 10(4), 10(4क), 10(6) VIII (क), 10(15)(4), 10क, 32क, 33क, 35ग, 35गग, 54ड, 80गग, 80जज, 80जजक, 80क्ष, 80ञ, 80ट, 80ट, अथवा
- (ख) किसी अन्य उपबन्ध के अंतर्गत जिन कर से छूट प्रदान करने अथवा उसमें कटौती करने के लिए

बाद में बनाया जाए, जिसके लिए संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों से सहमति होती है और जो काफी हद तक उर्मी प्रकार के स्वरूप का हो, यदि इसे उसके परम्परा-संशोधन नहीं किया गया हो अथवा उसमें मामूली-भा संशोधन किया गया हो ताकि इसमें उसके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना हो।

लेकिन, शर्त यह है कि इस पैराग्राफ में उल्लिखित कर की रकम निम्नलिखित से अधिक नहीं हो :

- (क) लाभार्थों के मामले में, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2(क) में उल्लिखित लाभार्थों के मामले में ऐसे लाभार्थों की सकल रकम के 10 प्रतिशत के बराबर रकम तथा अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2 (ख) में उल्लिखित लाभार्थों के मामले में लाभार्थों की सकल रकम का 15 प्रतिशत;
- (ख) ब्याज के मामले में, ऐसे ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत के बराबर की रकम; तथा
- (ग) रायल्टियों के मामले में, ऐसी रायल्टियों की सकल रकम के 10 प्रतिशत के बराबर की रकम।

अध्याय V

विशेष उपबंध

अनुच्छेद 26

सम-स्वयंवहार

(1) एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकां पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं होगा अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं होगी, जो उस कराधान से और उनसे संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो, जो दूसरे राज्य के राष्ट्रिकां पर एक-समान परिस्थितियों तथा एक-समान शर्तों में लागू होती हैं अथवा हो सकती हैं।

(2) एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी स्थायी संस्थापन पर, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा, जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर एक-समान परिस्थितियों में तथा एक-समान शर्तों के अधीन समरूप कार्यकलापों को करने के लिए लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो।

(3) एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व में अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी कोई भी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उस कराधान से अथवा तत्संबंधी किसी भी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत

अधिक भारपूर्ण हो, जो प्रथमोलिखित राज्य के अन्य समरूप उद्यमों पर एक-समान परिस्थितियों और एक-समान शर्तों के अधीन लगाई जाती है अथवा लगाई जा सकती है।

(4) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1), (2) तथा (3) में निहित किसी भी बात का आशय निम्नानुसार नहीं लगाया जावेगा—

- (क) एक संविदाकारी राज्य का दूसरे संविदाकारी राज्य के नियामकों को कोई ऐसी व्यक्तिगत छूटें, राहतें तथा घटौतियां मंजूर करने के लिए बाध्य करना, जिन्हें वह अपने स्वयं के निवासियों को मंजूर करना है;
- (ख) ऐसे अनिवासी व्यक्तियों पर कर लगाने के संबंध में संबंधित संविदाकारी राज्यों के कर कानूनों के किन्हीं उद्देश्यों को प्रभावित करना;
- (ग) विनिश्चित शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्तियों को कोई कर रियायतें मंजूर करने के संबंध में संबंधित संविदाकारी राज्यों के कर कानूनों के किन्हीं उद्देश्यों को प्रभावित करना।

(5) इस अनुच्छेद में 'कराधान' शब्द का अर्थ उन करों से है जो इस अभिसमय के विषय हैं।

अनुच्छेद 27

पारस्परिक करार कार्यविधि

(1) जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा या इस अभिसमय के अनुकूल नहीं है, तो वह, उन संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा संबंधित उपायों से होने हुए, या उन संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिनका कि वह एक निवासी है। यह समझा कर-निर्धारण की तारीख से अथवा खोल पर कर को राहत की तारीख से, जो भी बाद में हो, तीन वर्षों की अवधि के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(2) यदि सक्षम प्राधिकारों का आदित्त उचित लगे और यदि वह स्वयं किंवा संपुत्रिता हत पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के निवारण के उद्देश्य से, जो इस अभिसमय के अनुकूल नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों के साथ परस्पर सहमति से उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। फिर भी किसी भी समझौते का कार्यान्वयन किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में कोई भी समय-समय अंतर न हो।

(3) यदि इस अभिसमय के व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाईयां अथवा गंभीर उत्पन्न हों, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारों उन्हें पारस्परिक

गहमति में हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में भी दोड़ने कराधान के उपायों के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनकी इस अभिसमय में व्यवस्था नहीं की गई हो।

(4) इस अभिसमय के उपायों को लागू करने के प्रयोजनार्थ सविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार में प्रयुक्त होंगे। जहाँ, समझौता करने की दृष्टि से विचारों का मौखिक आदान-प्रदान किया जाना उपयुक्त समझा जाता हो तो विचारों का ऐसा आदान-प्रदान एक माध्यम के द्वारा किया जा सकता है जिनमें सविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

अनुच्छेद 28

सूचना का आदान-प्रदान

(1) सविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे, जो इस अभिसमय के उपबंधों का लागू करने अथवा करों के अयत्न को रोक-थाम करने अथवा उसका पता लगाने प्रयत्न उनका परिहार के लिए आवश्यक हो, जो कि इस अभिसमय के विषय है। इस प्रकार आदान-प्रदान की गई किसी भी सूचना को गुप्त समझा जाएगा परन्तु वह केवल ऐसे व्यक्तियों (जिसमें न्यायालय अथवा प्रशासनिक निकाय भी शामिल है), को प्रकट की जाएगी जो उन करों का निर्धारण, वसूली, प्रवर्तन करने अथवा अभियोजन की कार्यावाही से संबंधित हैं, जो इस अभिसमय के विषय है, अथवा ऐसे व्यक्तियों को प्रकट की जाएगी जिनमें वह सूचना संबंधित है।

(2) सूचना का आदान-प्रदान या तो नेमी आधार पर अथवा मामलों-विशेष के संदर्भ में अनुरोध किए जाने पर अथवा दोनों स्थितियों में किया जा सकेगा। सविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, समय-समय पर ऐसी सूचना को सूची में सहमत होंगे जिसे नेमी आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) किसी भी स्थिति में, पैराग्राफ (1) के उपबंधों का अर्थ किसी सविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा।

(क) उस अथवा दूसरे सविदाकारी राज्य के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;

(ख) ऐसी सूचना की सफाई करना जो उस अथवा दूसरे सविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;

(ग) ऐसी सूचना की सफाई करना जिससे किसी व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा रोजगार संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकूल है।

अनुच्छेद 29

वसूलों में महारत

(1) दो सविदाकारी राज्य ऐसे करों की वसूली करने में एक-दूसरे की सहायता करने और उन्हें समर्पित देने का जिम्मा लेते हैं जिनमें यह अभिसमय सर्वांगीण है और यहाँ वे कर अनुरोध करने वाले सविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार निश्चित रूप में संदेय होंगे।

(2) दोनों सविदाकारी राज्यों में से किसी भी सविदाकारी राज्य के कर संबंधी दावा का वसूली करने के लिए जिनके अन्तिम रूप में निर्धारित किया गया हो, प्राप्त अनुरोध के मामले में, दूसरे सविदाकारी राज्य द्वारा जहाँ अनुरोध किया जाता है, लागू करने के लिए स्वीकार किया जाएगा तथा उक्त राज्य में उमके करों को लागू करने तथा उनकी वसूली करने के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले कानूनों के अनुसार वसूला जाएगा।

(3) भारतीय कर के मामले में, केन्द्रिय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा बांग्लादेश लोक गणराज्य की सरकार के राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड का अनुरोध किया जाएगा तथा उमके साथ भारतीय कानूनों के अनुसार यथापेक्षित ऐसा प्रमाणपत्र यह प्रमाणित करने के लिए संलग्न किया जाएगा कि उक्त करों को अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया है तथा वे कर-दाताओं की ओर बकाया हैं।

(4) बांग्लादेश के करों के मामले में, बांग्लादेश लोक गणराज्य की सरकार के राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा भारत में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) को अनुरोध किया जाएगा तथा उमके साथ बांग्लादेश के कानूनों के अनुसार यथापेक्षित ऐसा प्रमाणपत्र यह प्रमाणित करने के लिए भेजा जाएगा कि उक्त करों को अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया है तथा वे कर-दाताओं की ओर बकाया हैं।

(5) जहाँ कर संबंधी कोई दावा उमके अपील के अधीन होने अथवा किसी अन्य कार्यवाही के कारण अंतिम रूप में देय नहीं बना हो तो उक्त मामले में एक सविदाकारी राज्य अपने राजस्व को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से, दूसरे सविदाकारी राज्य से इस संबंध में ऐंमें अन्तर्निमित्त उपाय करने के लिए अनुरोध कर सकता है जो उक्त दूसरे सविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत विधिसंगत है।

(6) किसी कर-दाता से संदेय करों की वसूली किए जाने में सहायता करने के लिए अनुरोध केवल तभी किया जाएगा यदि अनुरोध करने वाले सविदाकारी राज्य में उस कर-दाता से करों की वसूली किये जाने के लिए उसकी पर्याप्त परिसंपत्तियाँ उपलब्ध नहीं हों।

(7) जिस सविदाकारी राज्य में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1), (2) तथा (5) के अनुसार करों की वसूली की जाती है, वह राज्य उसके तत्काल पश्चात् इस प्रकार वसूल की गयी रकम को उक्त सविदाकारी राज्य के पास भेजेगा

जिसने इसमें लिए अनुसूची किया था परन्तु वह ऐसे कर का वसूली करने में दी गयी मदद में डोरन कि यह बाय है, यदि कोई हो, प्रतिपूर्ति के लिए चुकदार होगा।

अनुच्छेद 30

राजनीति और कोरवा प्रतिकारी

इस अभिसमय का किन्हीं भी बाय के राजनीतिक अथवा कामलो अतिकारियों को पता लगाया जाय तो सामान्य नियमों में आर्गन अथवा विशेष अभिसमय में उद्योग में अन्तर्गत प्राण कित्वाय विवेकीय द्वारा परकोड पभान तदा पडेगा।

योजना VI

अभिसमय उद्योग

अनुच्छेद 31

प्रवर्तन

(1) इस अभिसमय का अनुसूची किया जाता तथा जिसको जन्दी सम्भव होगा अनुसूची में दस्तावेजों का आदान-प्रदान बाय पर किया जाएगा।

(2) यह अभिसमय अनुसूची में दस्तावेजों का आदान-प्रदान होने पर प्रवृत्त होगा तथा इसके उपबंध निम्नलिखित के लिए लागू होंगे:

(क) बांग्लादेश में, जिस वर्ष में अनुसूची में दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया जाता है उसके अगले अनुवर्ती कैलेंडर वर्ष में जुलाई के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए; तथा

(ख) भारत में, जिस वर्ष में अनुसूची में दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया जाता है उसके अगले अनुवर्ती कैलेंडर वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए।

अनुच्छेद 32

पर्यवसान

यह अभिसमय अनिश्चित काल तक लागू रहेगा परन्तु संविदाकारी राज्यों में से कोई भी राज्य, इसके लागू होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति के बाद आरम्भ होने वाले किसी भी कैलेंडर वर्ष में जून के तीसरे दिन को अथवा उसके पहले, राजनीतिक माध्यमों से, दूसरे संविदाकारी राज्य को इसके पर्यवसान का लिखित नोटिस दे सकता है। ऐसी स्थिति में यह अभिसमय निम्नलिखित के लिए निष्प्रभावी हो जाएगा:

(क) बांग्लादेश में:

जिस वर्ष में ऐसा नोटिस दिया जाता है उसके अगले अनुवर्ती कैलेंडर वर्ष में जुलाई के प्रथम दिन को आरम्भ होने वाले किसी कर-निर्धारण वर्ष तथा

तत्पश्चात् के वर्षों के लिए कर-निर्धारण योग्य आय के संबंध में;

(ख) भारत में:

जिस वर्ष में ऐसा नोटिस दिया जाता है उसके अगले अनुवर्ती कैलेंडर वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन को आरम्भ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष तथा तत्पश्चात् के वर्षों के लिए कर-निर्धारण योग्य आय के संबंध में।

जिस साक्ष्य में, इसमें लिए, उनको संबंधित सरकारों द्वारा, लिखित प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं।

तई दिवस से 27 अगस्त, 1991 को हिंदी, बांग्ला तथा अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया, जिसमें सभी ताउ समानता प्राणाणिक है। अर्थनिरूपण में निम्नलिखित में भाषणों में अंग्रेजी पाठ प्रभावी रहेगा।

ह --

ह/.

भारत सरकार का
संस्कार को और से
माधव सिंह सोलंकी,
विदेश मंत्री

बांग्लादेश लोक गणराज्य
का सरकार की ओर से
ए.एन.एम. मोस्ताफिजुर रहमान,
विदेश मंत्री

[अधिसूचना सं. 9086/का.स. 501/2/72-एफटीडी]

टी.एस. कृष्ण मूर्ति, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 1992

(Income-Tax)

G.S.R. 758(E).—Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of Bangladesh for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has come into force on the 27th Mar., 1992 after the exchange of Instruments of Ratification as required by paragraph I of Article 31 of the said Convention;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 on the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

Chapter II
DEFINITIONS

CONVENTION BETWEEN

THE

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S
REPUBLIC OF BANGLADESH FOR THE
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND
THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH
RESPECT TO TAXES ON INCOME

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S
REPUBLIC OF BANGLADESH

Desiring to conclude a Convention for the Avoidance of Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income HAVE AGREED as follows :

Chapter I

SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

(1) The existing taxes to which this Convention shall apply are—

- (a) in the case of Bangladesh :
the income tax,
(hereinafter referred to as "Bangladesh tax");
- (b) in the case of India :
 - (i) the income tax including any surcharge thereon;
 - (ii) the surtax;
 (hereinafter referred to as "Indian tax").

(2) This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the present Convention in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph (1). The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which are made in their respective taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

(1) In this Convention, unless the context otherwise requires—

- (a) the term "Bangladesh" means the People's Republic of Bangladesh;
- (b) the term "India" means the Republic of India;
- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Bangladesh or India as the context requires;
- (d) the term "tax" means Bangladesh tax or Indian tax, as the context requires;
- (e) the term "person" includes an individual, a company and any other entity which is treated as a taxable unit under the tax laws in force in the respective Contracting States;
- (f) the term "company" means any company, body corporate or any other entity which is treated as a company under the tax laws of the respective Contracting States;
- (g) the terms "resident of a Contracting State" and "resident of the other Contracting State" mean a person who is a resident of Bangladesh or a person who is a resident of India, as the context requires;
- (h) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting States;
- (i) the term "nationals" means all individuals possessing the nationality of the respective Contracting States and also all legal persons, partnerships and associations deriving their status as much from the law in force in the respective Contracting States;
- (j) the term "competent authority" means in the case of Bangladesh, the National Board of Revenue or their authorised representative and in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative;
- (k) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State.

(2) As regards the application of this Convention by a Contracting State any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have

the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of this Convention.

Article 4

RESIDENT

(1) For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

(2) Where by reason of the provisions of paragraph (1) an individual is a resident of both Contracting States, then his case shall be determined in accordance with the following rules :

- (a) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are the closest (centre of vital interests);
- (b) If the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;
- (c) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;
- (d) If he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

(3) Where by reason of the provisions of paragraph (1) a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

(1) For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on

(2) The term "permanent establishment" shall include especially :

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;

(f) a warehouse

(g) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources;

(h) a building site or construction or assemblage project or the like which exists for more than 183 days.

(3) The term "permanent establishment" shall not be deemed to include :

(a) the use of facilities solely for the purposes of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display,

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise.

(4) Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person—other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies,—is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned State if—

(a) he has, and habitually exercises, in the first-mentioned State a general authority to conclude contracts for or on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise, or

(b) he habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise from which that person regularly delivers goods or merchandise for or on behalf of the enterprise, or

(c) he habitually secures orders in the first-mentioned State, wholly or almost wholly, for the enterprise itself, or for the enterprise or other enterprises which are controlled by it or have controlling interest in it

(5) An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business and their activities do not fall within the scope of paragraph (4) (c) above.

(6) The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself make either company a permanent establishment of the other.

(7) An enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it carries on a business which consists of providing the services of public entertainers (such as stage, motion picture, radio or television artistes and musicians) or athletes in that other Contracting State unless such services are provided within the scope of a cultural or sports exchange programme agreed to by both the Contracting States.

Chapter III

TAXATION OF INCOME

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

(1) Income from immovable property shall be taxable only in the Contracting State in which such property is situated.

(2) The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law and usage (having the force of law) of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture, forestry and fishery, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments in cash or kind as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

(3) The provisions of paragraph (1) shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (3) shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

(1) The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, then so much of the profits of the enterprise as is attributable to that permanent establishment shall be taxable only in that other Contracting State.

(2) Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall

in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment. In any case, where the correct amount of profits attributable to a permanent establishment is incapable of determination or the ascertainment thereof presents exceptional difficulties, the profits attributable to the permanent establishment may be computed on a reasonable basis.

(3) In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purpose of the permanent establishment including executive and general administrative expense, so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, but this does not include any expenses which, under the law of that State, would not be allowed to be deducted by an enterprise of that State.

(4) In so far as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph (2) shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.

(5) No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

(6) For the purpose of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

(7) Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

AIR TRANSPORT

(1) Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.

(2) The provisions of paragraph (1) shall likewise apply in respect of income derived from participation in pools of any kind by enterprises engaged in air transport.

Article 9

SHIPPING

(1) Profits of an enterprise of a Contracting State derived from the other Contracting State from the operation of ships in international traffic may be taxed

in that other Contracting State, but the tax chargeable in that other Contracting State on such income shall be reduced by an amount equal to fifty per cent of such tax.

(2) The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 10

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where —

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions have accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 11

DIVIDENDS

(1) Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

(2) However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed;

- (a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds directly at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends;
- (b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

(3) The term "dividends" as used in this Article means income from shares, mining shares, founder's shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

(5) Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other Contracting State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other Contracting State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other Contracting State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other Contracting State.

Article 12

INTEREST

(1) Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

(2) However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed—10 per cent of the gross amount of the interest.

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph

(2) :

- (a) interest arising in India and paid to the Government of Bangladesh or to the Bangladesh Bank shall be exempt from Indian tax;
- (b) interest arising in Bangladesh and paid to the Government of India or to the Reserve Bank of India shall be exempt from Bangladeshi tax.

The competent authorities of the Contracting States may determine by mutual agreement any other institution to which this paragraph shall apply.

(4) The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

(5) The provisions of paragraphs (1) to (3) shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

(6) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

(7) Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

ROYALTIES

(1) Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

(2) However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.

(3) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience but does not include any payments in respect of the operation of mineral deposits, sources and other natural resources.

2271 GI/92-4.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

(5) Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

(6) Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 14

CAPITAL GAINS

(1) Subject to the provisions of paragraph (3), capital gains arising from the sale, exchange or transfer of a capital asset as defined under the respective tax laws of the Contracting States shall be taxable only in the Contracting State in which the capital asset is situated at the time of such sale, exchange or transfer.

(2) For the purpose of this Article, the situs of the shares of a company shall be deemed to be in the Contracting State in which the company is incorporated.

(3) Capital gains derived from the sale, exchange or transfer of a capital asset being a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.

Article 15

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

(1) Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable

only in that Contracting State. However, such income may be taxed in the other Contracting State if

- (a) he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purposes of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or
- (b) he is present in the other Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate 120 days in the previous year or income year concerned of that Contracting State.

(2) The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 16

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

(1) Subject to the provisions of Articles 17, 19 and 20 salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that Contracting State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom shall be taxable only in that other Contracting State.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State, if:

- (a) he is present in that other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days during the 'previous year' or 'income year' concerned or he is present in that other Contracting State for any period which forms part of a continuous period exceeding 183 days throughout which he is present in that other Contracting State and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of an employer who is not a resident of the other Contracting State and
- (c) the remuneration is not deducted from the profits of a permanent establishment chargeable to tax in that other Contracting State

(3) Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article remuneration for personal services performed abroad a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.

Article 17

DIRECTOR'S FEES

Director's fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other Contracting State.

Article 18

ENTERTAINERS AND ATHLETES

(1) Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other Contracting State

(2) Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 15 and 16, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

(3) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply to remuneration or profits, salaries, wages and similar income derived from activities performed in a Contracting State by entertainers or athlete if their visit to that State is substantially supported from the public funds of the other Contracting State, including those of any political sub-division, a local authority or statutory body thereof, nor to income derived by a non-profit making organization in respect of such activities provided no part of its income is payable to, or is otherwise available for the personal benefit of its proprietors, members or shareholders

Article 19

NON-GOVERNMENTAL PENSIONS

(1) Any pension other than pension to which paragraph (1) of Article 20 applies and any annuity derived from sources within a Contracting State by an individual, who is a resident of the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State

(2) The term "pension" as used in Article 20 and this Article means periodic payments made in consideration for services rendered or by way of compensation for injuries received.

(3) The term "annuity" as used in paragraph (1), means a stated sum payable periodically at stated times, during life or during a specified or ascertainable period or time under an obligation to make the payment in return for adequate and full consideration in money or money's worth

Article 20

GOVERNMENTAL REMUNERATION AND PENSION

(1) Remuneration including pensions paid by or out of funds created by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof, to any individual who is a citizen of that Contracting State in respect of services rendered to that Contracting State or political sub-division or local authority thereof in the discharge of functions of a governmental nature shall be taxable only in that State.

(2) The provisions of paragraph (1) shall not apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with any business carried on by Government of either of the Contracting States or a political sub-division or a local authority thereof for the purpose of profit.

(3) The provisions of paragraph (1) of this Article shall also apply to remuneration including pensions paid by the Reserve Bank of India and the Bangladesh Bank.

Article 21

STUDENTS, TRAINEES AND APPRENTICES

(1) An individual who is a resident of a Contracting State and who is temporarily present in the other Contracting State, solely —

- (a) as a student at a recognised university, college, school or other educational institution in the other Contracting State, or
- (b) as a business or technical apprentice in an organisation other than a permanent establishment of an enterprise of the first-mentioned Contracting State, or
- (c) as the recipient of a grant, allowance or award for the primary purpose of study or research from a religious, charitable, scientific or educational organisation,

shall be exempt from tax in that other Contracting State in respect of —

- (i) the remittances from abroad for the purpose of his maintenance, education, study, research or training; the maximum period of exemptions being five years;
- (ii) the grant, allowance or award; and
- (iii) any amount not exceeding the sum of Rs. 15,000/- per annum or its equivalent sum in Bangladesh currency during the 'previous year' or 'income year', as the case may be, representing remuneration for an employment in that other Contracting State if the employment is related with his studies or his training or if it is necessary for his maintenance.

(2) An individual who is a resident of a Contracting State and who is temporarily present in the other Contracting State for a period not exceeding one year,

as an employee of, or under contract with, an enterprise of the first-mentioned Contracting State or an organisation referred to in sub-paragraph (c) of paragraph (1), solely to acquire technical, professional or business experience from a person other than such enterprise or organisation, shall be exempt from tax in that other Contracting State in respect of remuneration for such period for his services directly related to the acquisition of such experience, to the extent such remuneration does not exceed the sum of Rs. 12,000 per annum or its equivalent sum in Bangladesh currency, during the 'previous year' or the 'income year', as the case may be.

(3) An individual who is a resident of a Contracting State and who is temporarily present in the other Contracting State under arrangements with the Government of that other Contracting State or any agency thereof solely for the purpose of training, study or orientation shall be exempt from tax in that other Contracting State in respect of remuneration received by him on account of such training, study or orientation.

Article 22

PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCHERS

(1) A professor or a teacher who visits a Contracting State for the purposes of teaching or engaging in research, or both, at a university, college, school or other approved institution in that Contracting State and who is, or was immediately before such visit, a resident of the other Contracting State, shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that Contracting State.

(2) This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

(3) For the purposes of this Article and Article 21, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that Contracting State in the 'previous year' or 'income year' in which he visits the other Contracting State, or in the immediately preceding 'previous year' or 'income year' as the case may be.

(4) For purposes of paragraph (1), 'approved institution' means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned Contracting State.

Article 23

INCOME OF GOVERNMENT AND INSTITUTIONS

(1) The Government of one of the Contracting States shall be exempt from tax in the other Contracting State in respect of any income derived by such Government from that other Contracting State.

(2) For the purposes of paragraph (1) of this Article, the term 'Government'—

- (a) in the case of India means the Government of India and shall include—

- (i) the Governments of the States and the Union territory of India;
 - (ii) the Reserve Bank of India;
 - (iii) any such institution or body as may be agreed from time to time between the two Contracting States.
- (b) in the case of Bangladesh means the Government of the People's Republic of Bangladesh and shall include —
- (i) the Bangladesh Bank,
 - (ii) any such institution or body as may be agreed from time to time between the two Contracting States

Article 24

INCOME NOT EXPRESSLY MENTIONED

The laws in force in each Contracting State shall continue to govern the taxation of incomes in the respective Contracting States, except where express provision to the contrary has been made in this Convention.

Chapter IV

METHOD FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 25

Elimination of Double Taxation

(1) In the case of a resident of India, double taxation shall be avoided as follows:

Subject to the provisions of Indian tax law regarding the allowance as a credit against Indian tax of tax payable in any country other than India (which shall not affect the general principle hereof) the Bangladesh tax payable (excluding in the case of a dividend, tax payable in respect of the profits out of which the dividend is paid) under the laws of Bangladesh and in accordance with this Convention, whether directly or by deduction, in respect of income from sources within Bangladesh which has been subjected to tax both in Bangladesh and India shall be allowed as a credit against Indian tax payable in respect of that income. The credit shall not, however, exceed that proportion of Indian tax which the income from sources within Bangladesh bears to the entire income subject to Indian tax:

Provided that such credit shall not exceed Indian tax (as computed before allowing any such credit), which is appropriate to the income derived from sources within Bangladesh, so, however, that where such resident is a company by which surtax is payable in India the credit aforesaid shall be allowed in the first instance against income tax payable by the company in India, and as to the balance if any against surtax payable by it in India.

(2) For the purposes of paragraph (1), the term "Bangladesh tax payable" shall be deemed to include the amount of Bangladesh tax which would have been payable if the Bangladesh tax had not been exempted or reduced in accordance with the following provisions of Bangladesh law:

- (a) clause (x) of Section 29(1), section 45 and section 46 of the Income Tax Ordinance, 1984,
- (b) paragraph 7 of the Third Schedule to the Income Tax Ordinance, 1984;
- (c) paragraphs 10, 11, 12, 13, 15 and 22 of Part B of the Sixth Schedule to the Income Tax Ordinance, 1984;
- (d) paragraphs (c), (e), (f), (g) and (h) of Notification number S.R.O. 417A-L/76, dated 29 November, 1976; and paragraphs (a), (b) and (d), of the said Notification so far as the exemption or relief relates to loans made with a view to promoting economic development in Bangladesh;

So far as they were in force on, and have not been modified since, the date of signature of this Convention, or have been modified only in minor respects so as not to affect their general character; or

- (e) under any other provision which may subsequently be made granting an exemption or reduction of tax which is agreed by the competent authorities of the Contracting States to be of a substantially similar character, if it has not been modified thereafter or has been modified only in minor respects so as not to affect its general character:

Provided that the amount of the tax referred to in this paragraph shall not, however, exceed:

- (a) in the case of dividends an amount equal to 10 per cent of the gross amount of such dividends in the case of dividends referred to in paragraph 2(a) of Article 11 and 15 per cent of the gross amount of dividends in the case of dividends referred to in paragraph 2(b) of Article 11;
- (b) in the case of interest an amount equal to 10 per cent of the gross amount of such interest; and
- (c) in the case of royalties an amount equal to 10 per cent of the gross amount of such royalties.

(3) In the case of a resident of Bangladesh, double taxation shall be avoided as follows:

Subject to the provisions of the law of Bangladesh regarding the allowance as a credit against Bangladesh tax of tax payable in any country other than Bangladesh (which shall not affect the general principle hereof), the Indian tax payable (excluding in the case of dividends, tax payable in respect of the profits out

of which the dividend is paid) under the law of India and in accordance with this Convention, whether directly or by deduction, by a resident of Bangladesh in respect of income from sources within India which has been subjected to tax both in India and Bangladesh shall be allowed as a credit against Bangladesh tax payable in respect of such income, but in an amount not exceeding that proportion of Bangladesh tax which such income bears to the entire income chargeable to Bangladesh tax.

(4) For the purpose of paragraph (3) of this Article the term "Indian tax payable" shall be deemed to include any amount which would have been payable as Indian tax for any year but for an exemption or reduction of tax granted for that year or any part thereof under :

- (a) any of the following provisions, that is to say, sections 10(4), 10(4A), 10(6) (vii), 10(15) (iv), 10A, 32A, 33A, 35C, 35CC, 54E, 80CC, 80HH, 80HHA, 80I, 80J, 80K, 80L of the Income Tax Act, 1961; or
- (b) any other provisions which may subsequently be made granting an exemption or reduction of tax which is agreed by the competent authorities of the Contracting States to be of a substantially similar character of it has not been modified thereafter or has been modified only in minor respects so as not to affect its general character :

Provided that the amount of the tax referred to in this paragraph shall not, however, exceed :

- (a) in the case of dividends an amount equal to 10 per cent of the gross amount of such dividends in the case of dividends referred to in paragraph 2(a) of Article 11 and 15 per cent of the gross amount of dividends in the case of dividends referred to in paragraph 2(b) of Article 11;
- (b) in the case of interest an amount equal to 10 per cent of the gross amount of such interest; and
- (c) in the case of royalties an amount equal to 10 per cent of the gross amount of such royalties.

Chapter V

SPECIAL PROVISIONS

Article 26

NON-DISCRIMINATION

(1) The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances and under the same conditions are or may be subjected.

(2) The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably

levied in that other Contracting State than the taxation levied on enterprises of that other Contracting State carrying on the same activities in the same circumstances and under the same conditions.

(3) Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned Contracting State are or may be subjected in the same circumstances and under the same conditions.

(4) Nothing contained in paragraphs (1), (2) and (3) of this Article shall be construed as —

- (a) obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions which it grants to its own residents;
- (b) affecting any provisions of the tax laws of the respective Contracting States regarding the imposition of tax on non-resident persons as such;
- (c) affecting any provisions of the tax laws of the respective Contracting States regarding any tax concessions granted to persons fulfilling specified conditions.

(5) In this Article the term "taxation" means taxes which are the subject of this Convention.

Article 27

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

(1) Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may notwithstanding the remedies provided by the national laws of those Contracting States, present the case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. The case must be presented within three years from the date of the assessment or of the withholding of tax at the source whichever is later.

(2) The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State with a view to the avoidance of taxation not in accordance with this Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

(3) The competent authorities of the Contracting State shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Convention.

(4) The competent authority of the Contracting States may communicate with each other directly for the purposes of applying the provisions of this Convention. When it seems advisable in order to reach agreement to have a oral exchange of opinions, such exchange may take place through a commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 28

EXCHANGE OF INFORMATION

(1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or for the prevention or detection of evasion or avoidance of the taxes which are the subject of this Convention. Any information so exchanged shall be treated as secret but may be disclosed only to persons (including a court or administrative body) concerned with the assessment, collection, enforcement or prosecution in respect of the taxes which are the subject of this Convention, or to persons with respect to whom the information relates.

(2) The exchange of information shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases, or both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of information which shall be furnished on a routine basis.

(3) In no case shall the provisions of paragraph (1) be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 29

ASSISTANCE IN COLLECTION

(1) The two Contracting States undertake to lend assistance and support to each other, in the collection of the taxes to which this Convention relates, in the cases where the taxes are definitely due according to the laws of the Contracting State making the request.

(2) In the case of a request for enforcement of collection, tax claims of either of the Contracting States which have been finally determined will be accepted for enforcement by the other Contracting State to which the request is made and collected in that Contracting State in accordance with the laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes.

(3) In the case of Indian tax, the request will be sent by the Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue) to the National Board of Revenue of the Government of the People's Republic of Bangladesh and will be accompanied by such certificate as is required by the laws of India to establish that the taxes have been finally determined and are due from the tax payer.

(4) In the case of Bangladesh tax, the request will be sent by the National Board of Revenue of the Government of the People's Republic of Bangladesh to the Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue) in India and will be accompanied by such certificate as is required by the laws of Bangladesh to establish that the taxes have been finally determined and are due from the taxpayer.

(5) Where the tax claim has not become final by reason of its being subject to appeal or any other proceeding, a Contracting State may, in order to protect its revenues, request the other Contracting State such interim measures in this behalf as are lawful under the laws of that other Contracting State.

(6) A request for assistance in collection of taxes due from a taxpayer shall be made only if adequate assets of that taxpayer are not available for recovering the taxes from him in the Contracting State making the request.

(7) The Contracting State in which tax is recovered in pursuance of paragraphs (1), (2) and (5) of this Article shall immediately thereafter remit the amount so recovered to the Contracting State which made the request but it shall be entitled to reimbursement of costs, if any, incurred in the course of rendering assistance in the recovery of such tax.

Article 30

DIPLOMATIC AND CONSULAR OFFICIALS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under provisions of special Convention.

Chapter VI

FINAL PROVISIONS

Article 31

ENTRY INTO FORCE

(1) This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Dhaka as soon as possible.

(2) This Convention shall enter into force upon the exchange of the instruments of ratification and its provisions shall have effect :

- (a) in Bangladesh, for any year of assessment beginning on or after the first day of July in the calendar year next following that in which the exchange of instruments of ratification takes place; and

(b) in India, for any year of assessment beginning on or after the first day of April in the calendar year next following that in which the exchange of instruments of ratification takes place

Article 32

TERMINATION

This Convention shall remain in force indefinitely but either Contracting State may, on or before June 30 in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give to the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination. In such event, the Convention shall cease to have effect :

(a) in Bangladesh :

In respect of income assessable for any year of assessment commencing on 1st day of July in the calendar year next following that in which such notice is given, and subsequent years;

(b) in India :

In respect of income assessable for any year of assessment commencing on 1st day

of April in the calendar year next following that in which such notice is given, and subsequent years.

In Witness Whereof the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments have signed this Convention.

Done in duplicate at New Delhi on 27th August, 1991 in Hindi, Bengali and English Languages, all text, being equally authentic. In the case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

Government of the Republic
of India

Sd/-

(MADHAVSINH SOLANKI)
Minister of External Affairs
Government of the People's
Republic of Bangladesh

Sd/-

(A.S.M. MOSTAFIZUR RAIMAN)
Minister for Foreign Affairs

[No. 9086/F. No. 501/2/72-FTD]

T. S. KRISHNA MURTHI, Jt. Secy.

